4/6/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प दिवा पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी का मूल वाद सं. 25/17 राजस्व वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाने के कारण इस प्रा० पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 212 को भी इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न की जावे।

जमना

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner